

आवेदन के साथ अंलग्न किए जाने वाले कागजात -

1. कर्मचारी तथा रोगी के बी.जी.एच.एन. कार्ड की छायाप्रति
2. चिकित्सा हेतु पूर्वानुमति पत्र की छायाप्रति (यदि हो)
3. मूल आपातकालीन चिकित्सा प्रमाण-पत्र (यदि हो)
4. मूल एम्बुलेंस प्रमाण-पत्र (यदि हो)
5. मूल थिल/नगद प्राप्ति-पत्र इत्यादि

महत्वपूर्ण बिंदु -

कृपया निम्नलिखित जानकारी/दस्तावेज जहाँ भी अनिवार्य हो, देना सुनिश्चित करें-

1. अस्पताल/नैदानिक केन्द्र/जाँच केन्द्र द्वारा की गए जाँच का प्रत्येक जाँच/ प्रयोग के हिस्साओं से लिया गया शुल्क एवं कुल जाँच/ प्रयोगों की संख्या। चूंकि प्रतिपूर्ति योग्य बी.जी.एच.एन. द्वारा प्रत्येक जाँच के लिए अनुमोदित शुल्क के आधार पर फलन होना हैं।
2. मूल दस्तावेज खो जाने की स्थिति में अंलग्नक-1 के अनुसार हलफनामा भरकर जमा कराना होगा। इसके साथ ही सभी थिलों की चिकित्सा करने वाले डॉक्टर द्वारा अत्यापित प्रति लगाकर दावा करना होगा।
3. कार्डधारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में अंलग्नक-2 के अनुसार हलफनामा भरकर दावे के लिए जमा कराना होगा।
4. अंग प्रत्यारोपण की स्थिति में थिल कर्मांक प्रत्यारोपण का कर्मांक बिकर सहित जमा कराना होगा।
5. हृदय अम्बुलेंसी चिकित्सा की स्थिति में आहत नाल अंलग्न करना होगा।
6. पेसमेकर इत्यादि बदलवाने की स्थिति में वारंटी कार्ड की प्रति अंलग्न करनी होगी।

नोट -

बी.जी.एच.एन. सुविधा का दुरुपयोग करना एक अपराध है। यदि पूर्वनियोजित इलाके से तथ्यों की घोषणा झूठी पाई जाती है तो बी.जी.एच.एन. कार्ड के रद्दीकरण सहित कार्डधारी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाई की जा सकती है। अतः कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।